

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail: dfonainital@gmail.com

Telefax. 05942-236790

पत्रांक:- 630 /12-1

दिनांक 20/08/2025

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,  
अस्थाई खण्ड,  
लोक निर्माण विभाग, भवाली, नैनीताल।

विषय:-

जनपद नैनीताल में बगडवार बैण्ड से दूनी बिरसिंग्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्रांक संख्या 8बी/यू.सी.पी/06/85/2016/एफ.सरी दिनांक 18.7.2025।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित मोटर मार्ग में 02 बिन्दुओं पर आख्या चाही गयी है-

बिन्दु संख्या	चाही गयी आख्या	कार्यवाही जो की जानी है
1	The revised CA scheme amounting to Rs. 40,81,470.12/- shall be submitted	इस कार्यालय की पत्रांक संख्या 7061/12-1 दिनांक 22.5.2025 द्वारा CA Scheme प्रेषित की गयी थी। संशोधित CA Scheme भी बिन्दु संख्या 2 के अनुसार ही संशोधित किया जाना होगा।
2	Only Rs. 33,92,860/- has been paid by the User Agency instead of revised Rs. 40,81,470.12/-. The Reaming balance shall be paid	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्रांक संख्या क-1191/3-5-2(FC) दिनांक 26.3.2025 द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए निर्धारित दर रु० 543037.00 प्रति हैक्टेयर है। उक्त के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु $3.78*2=7.56$ Ha. X 543037 = 41,05,360.00 की धनराशि जमा की जानी होगी। आप द्वारा रु० 33,92,860 की धनराशि वर्ष 2024 में जमा की जा चुकी है, जो कि तत्कालीन दर रु० 4,48,791.00 प्रति हैक्टेयर के अनुसार थी। वर्तमान में अवशेष धनराशि जो कि रु० 7,12,500.00 है, जमा की जानी होगी।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक 630 /12-1

तददिनांकित।

प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी, बढौन वन क्षेत्र को सूचनाार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त प्रस्ताव हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि जो कि ग्राम बबियाड़ की सिविल सोयम भूमि है, हेतु नवीन प्राक्कलन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल